हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 दिसम्बर, 2018 (प्रथम बैठक)

खण्ड–3, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

सदस्य के निलम्बन का निर्णय रद्द करना

तारांकित तथा अतांरकित प्रश्नों से संबंधित मामला उठाना

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा
चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

(ख) सचिव द्वारा
*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

सदस्यों को विधयकों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने से संबंधित मामला उठाना

विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के तीन प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध
(ii) श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. के विरूद्ध
(iii) श्री केहर सिंह, एम.एल.ए. के विरूद्ध

तारांकित व अतारांकित प्रश्नों से संबंधित मामला उठाना

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनन्दन

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

राज्य में किसानों के कृषि ऋण माफ करने से संबंधित मामला उठाना

वाक–आउट

राज्य में किसानों के कृषि कर्ज माफ करने से संबंधित मामला उठाना (पुनरारम्भ)

स्थगन प्रस्तावों का मामला उठाना

वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

स्थगन प्रस्तावों का मामला उठाना

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज़ (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2018

(ii) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरीफरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2018

(iii) दि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एण्ड विजुअल आर्टस रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2018

वाक आउट

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने के बीच कुछ महान विभूतियां हमें छोड़कर चली गई हैं । उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस प्रकार हैं : –

श्री अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री

यह सदन केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार के 12 नवम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 22 जुलाई, 1959 को हुआ। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में छः बार लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1998 से 2003 के दौरान तथा 27 मई, 2014 से अपने अंतिम समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें रसायन एवं उर्वरक, संसदीय मामले, पर्यटन, सिविल विमानन, युवा कार्यक्रम एवं खेल, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उनका सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री नारायण सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री नारायण सिंह के 10 नवम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 जनवरी, 1923 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1996–99 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मत्रिमंडल में रहते हुए परिवहन, आवास, तकनीकी शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री सत्य नारायण लाठर, भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सत्य नारायण लाठर के 23 दिसम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जनवरी, 1954 को हुआ। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1997–99 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मत्रिमंडल में रहते हुए आवास, जन–स्वास्थ्य तथा राजस्व जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

पंडित शिव चरण लाल शर्मा, भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व राज्यमंत्री पंडित शिव चरण लाल शर्मा के 12 सितम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1933 में हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 2009–14 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मत्रिमंडल में रहते हुए श्रम एवं रोज़गार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, चकबंदी तथा सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री मनी राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मनी राम के 23 सितम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 मई, 1946 को हुआ। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 25 नवम्बर, 1992 से 25 मार्च, 1996 तक हरको बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री नरेश मलिक, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश मलिक के 25 दिसम्बर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 मई, 1966 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन पानीपत के स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामदित्तामल मदान के 8 अक्तूबर, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. लेफ्टिनेंट कमांडर नीरज कुमार, गांव नया गांव, जिला रेवाड़ी।

2. चीफ पेटी ऑफिसर नवीन कुमार, गांव चांगरोड़, जिला चरखी दादरी।

3. उप निरीक्षक जयपाल, गांव धनाना, जिला भिवानी।

4. पेटी ऑफिसर अमित कुमार, गांव हथवाला, जिला जीन्द।

5. सहायक उप निरीक्षक राजकुमार यादव, गांव छव्वा, जिला रेवाड़ी।

6. लांस हवलदार विजय कुमार, गांव सागवान, जिला भिवानी।

7. हवलदार कर्ण सिंह, गांव सैदपुर, जिला महेंद्रगढ़।

8. हवलदार नरेंद्र कुमार, गांव थाना कलां, जिला सोनीपत।

9. हवलदार शरीफ खां, गांव कपूरी, जिला महेन्द्रगढ़।

10. हवलदार वीरेंद्र सिंह, गांव अमरगढ़, जिला जींद।

11. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव साहलेवाला, जिला भिवानी।

12. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव सतनाली बास, जिला महेंद्रगढ़।

13. सिपाही नरेश, गांव आकोदा, जिला महेंद्रगढ़।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा की माता, **श्रीमती गिंदोड़ी देवी;**

राज्य मंत्री श्री कर्ण देव कम्बोज के जीजा, **श्री तारा चंद;**

सांसद श्री रमेश कौशिक के पिता, **श्री कलीराम कौशिक;**

विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी की माता, **श्रीमती तारो देवी;**

विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा के भाई, **श्री श्याम सुंदर;**

विधायक श्री राजदीप फौगाट की माता, **श्रीमती कृष्णा देवी;**

विधायक श्री जयप्रकाश की माता, **श्रीमती सुकमा देवी;**

पूर्व मंत्री श्री सतपाल सांगवान की माता, **श्रीमती मोहरा देवी;**

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की माता, **श्रीमती हरिद्वारी देवी;**

पूर्व विधायक श्री नफे सिंह के पिता, **श्री हरि सिंह;**

पूर्व विधायक श्री साधू राम की पत्नी, **श्रीमती जवंत्री देवी;**

पूर्व विधायक श्री आनंद कुमार शर्मा की पत्नी, **श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा;**

पूर्व विधायक श्री दुर्गा दत्त अत्री के पिता, **श्री रामेश्वर दत्त अत्री;**

पूर्व विधायक श्री नफे सिंह राठी की माता, **श्रीमती रतनी देवी;**

पूर्व विधायक श्री बलवीर सिंह के भाई, **श्री के.डी. चौधरी;**

पूर्व विधायक श्री रामरत्न के भाई, **श्री रामकरन;**

तथा

पूर्व विधायक श्री शेर सिंह की पत्नी, **श्रीमती सरती देवी** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने अभी शोक प्रस्ताव संख्या 1 से लेकर 9 तक पढ़े हैं, जिनके अंदर श्री अनंत कुमार, केन्द्रीय मंत्री, श्री नारायण सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री सत्य नारायण लाठर, भूतपूर्व राज्य मंत्री, पंडित शिव चरण लाल शर्मा, भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री मनी राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नरेश मलिक, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामदित्तामल मदान, हरियाणा के शहीद जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया और शोक प्रस्ताव संख्या 9 जिसमें इस सदन के बहुत से सदस्यों के परिवार के महानुभाव जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, के नाम हैं। उन सबके प्रति मैं और इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार वालों को हौसला दे तथा इनके परिवार वालों को इस दुःख से उबरने की शक्ति प्रदान करे, धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव संख्या 1 से 9 सदन में रखे है, मैं भी अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से श्री अनंत कुमार, केन्द्रीय मंत्री, श्री नारायण सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री सत्य नारायण लाठर, भूतपूर्व राज्य मंत्री, पंडित शिव चरण लाल शर्मा, भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री मनी राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नरेश मलिक, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामदित्तामल मदान के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं और हरियाणा के शहीदों को नमन करती हूं। जो शोक प्रस्ताव संख्या 9 है, जिनमें इस सदन के बहुत से सदस्यों के परिवार के सदस्य जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन सबके दुखद निधन पर भी मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करती हूं और उन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों झज्जर, बादली रिवाड़ी रोड पर काफी बड़ा हादसा हुआ था और उसमें एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और 15 लोगों के करीब घायल भी हुए थे। मैं चाहती हूं कि उनके नाम भी शोक–प्रस्ताव में शामिल कर लिये जाएं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, ठीक है, उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिए जाएंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो। माननीय सदस्यगण, मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

सदस्य के निलम्बन का निर्णय रद्द करना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को एक साल के लिए गलत तरीके से निष्कासित किया था । अध्यक्ष महोदय, आप सदन चला रहे हैं, मैं समझती हूं कि भविष्य में ऐसी परम्परा आगे न पड़े । अच्छा है कि आप माननीय सदस्य को सदन में वापिस बुला ले । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की यह बहुत गलत बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल को नाजायज तरीके से तो निष्कासित किया था । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि इस बात को गलत तरीके से मत कहे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह तो हाउस का निर्णय था । (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन श्रीमती किरण चौधरी सी.एल.पी लीडर का आग्रह है कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह

दलाल को वापिस बुला लिया जाए । इसके साथ–साथ मेरा भी आपसे निवेदन है कि यदि सदन की सहमति हो तो श्री करण सिंह दलाल जी का सस्पैंशन रिवोक कर दिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यदि सदन की सहमति हो तो श्री करण सिंह दलाल का सस्पैंशन रिवोक कर दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति से श्री करण सिंह दलाल, विधायक का सस्पैंशन रिवोक किया जाता है और वे अब सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी पार्टी की तरफ से श्री करण सिंह दलाल का सस्पैंशन रिवोक करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं ।

.....

तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों से सम्बन्धित मामला उठाना

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हमें जैसे ही सैशन की सूचना मिलती है तो सभी माननीय सदस्य अपने–अपने विषयों को लेकर के इस सदन में तैयारी के साथ आते हैं लेकिन हमें इस बार के सैशन में प्रश्न भेजने का समय नहीं मिला है । अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने जो तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न दिए थे वह आज की बिजनैसकी लिस्ट में नहीं लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, अभी आप बैठिए क्योंकि मैंने अभी सदन को दो–चार सूचनाएं देनी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, मेरे द्वारा दो चार सूचना देने के बाद आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी बात रखें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब की बात ठीक है, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आज लगने चाहिए थे ।

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं :–

1. श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2018 तथा सितम्बर, 2018 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं ।

मार्च सत्र, 2018

*मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018.

सितम्बर सत्र, 2018

1. वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, 2018.
2. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018.
3. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2018.
4. पंजाब भूमि सुधार स्कीम (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018.
5. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018.
6. हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक, 2018.
7. हरियाणा विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2018.

8. भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018.
9. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018.
10. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2018.
11. हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018.
12. हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2018.

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स्पीकर, हरियाणा विधान सभा, श्री नफे सिंह राठी, पूर्व विधायक, श्री रणबीर सिंह मंडौला, पूर्व विधायक, श्री रामवीर पटौदी, पूर्व विधायक और श्री धर्मपाल ओबरा, पूर्व विधायक, हरियाणा विधान सभा सदन की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए विराजमान हैं । मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

.....

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं:–

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को 09.30 बजे प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई ।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की प्रथम बैठक शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी और 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा विधान सभा की द्वितीय बैठक 3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी और उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 28 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 (11.00 बजे प्रातः) (प्रथम बैठक)	1. शोक प्रस्ताव। 2. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 3. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र। 4. विशेषाधिकार समिति के तीन प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। 5. वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 6. विधान कार्य। 7. कोई अन्य कार्य।
शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 (3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात) (द्वितीय बैठक)	1. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 2. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र। 4. वर्ष 2018–2019 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 5. विधान कार्य। 6. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे/पुनः रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित कागज़–पत्र पुन रखता हूं :–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2,

दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/एस.टी–2,

दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/एस.टी–2,

दिनांकित 5 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/एस.टी–2 दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई

अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/एस.टी–2, दिनांकित 5 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/एस.टी–2, दिनांकित 19 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/एस.टी–2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/एस.टी–2, दिनांकित 28 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/एस.टी–2, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 110/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 111/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 112/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 113/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 114/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 115/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 116/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 117/एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 118/एस.टी–2 दिनांकित 27 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 119/एस.टी–2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 120/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 121/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 122/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 123/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 124/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 125/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 126/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 127/एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 128/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 129/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 130/एस.टी–2, दिनांकित 22

नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 131/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 132/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 135/एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 1/एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 4/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 5/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/एस.टी–2, दिनांकित 9

जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 6 अप्रैल, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 मई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 जून, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 19 जून, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, 29 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, 6 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2 दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66./जी.एस.टी–2, दिनांकित 27

जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67./जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70./जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विकास तथा पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 34/एच.ए. 30/1970/एस. 22/2018 दिनांकित 29 जून, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई

अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/जी.एस.टी –2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2018 ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

.....

सदस्यों को बिलों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित मामला उठाना

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इतने महत्वूपर्ण बिल आज सदन में लाये जा रहे हैं इनको पढ़ने के लिए सदस्यों को टाईम मिलना चाहिए। यदि सम्भव हो तो आप हाउस को सोमवार तक एक्सटैंड कर दें ताकि सभी सदस्य इन महत्वपूर्ण बिलों को पढ़ कर उन पर सार्थक चर्चा कर सकें। मेरा यह भी सुझाव है कि भविष्य में भी सदन में प्रस्तुत होने वाले बिलों की एडवांस कॉपी सभी सदस्यों के पास कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जानी चाहिएं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, श्री जाकिर हुसैन जी जो बात कह रहे हैं वह सही है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। इसी सन्दर्भ में आगे बढ़ते हुये मैं बताना चाहता हूं कि आपने 8.8.2017 को मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था और वह पत्र आपने इसलिए लिखा था कि विधान सभा में जो विधेयक आते हैं उनकी एक समय–सीमा निर्धारित होनी चाहिए। विधेयक विधान सभा के सदस्यों के पास कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाने चाहिएं ताकि उनको यह जानकारी हो सके कि क्या विधेयक आ रहा है, विधेयक किसलिए लाया जा रहा है ताकि विधायक उस विधेयक पर चर्चा कर सकें। आपने जो पत्र लिखा था उसमें आपने विधेयक के

विधान सभा पहुंचने की एक समय–सीमा निर्धारित की थी वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं। आपने 8.8.2017 को यह पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि श्रीमान प्रस्तुत किया जाता है कि पिछले सत्र दिनांक 4 मई, 2017 को हुई चर्चा के अवलोकनोपरान्त जानकारी में आया है कि जी.एस.टी. विधेयक की चर्चा के दौरान विधायकों ने बिल की कॉपी समय पर न मिलने के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाते हुये कहा था कि जब सदन में बिल प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी एडवांस कॉपी उनके पास नहीं होती है जिसके कारण वे उस बिल पर चर्चा करने में असमर्थ रहते हैं। यहां पर इस विषय के बारे में मैं भी ध्यान आकर्षित करना अवश्यक समझता हूं। जब सत्र चलता है तो जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसकी एडवांस कॉपी विधायकों के पास नहीं होती है जिसके कारण वे बिल पर चर्चा करने में असमर्थ रहते हैं। यहां पर इस विषय के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि जब सत्र चलता है उस समय विधेयक समय पर विधान सभा में न आने के कारण उसको प्रैस में प्रिंट करवाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है जिसके कारण समय पर विधेयक प्रिंट नहीं होने के कारण विधायकों को विधेयक की एडवांस कॉपी समय पर नहीं मिल पाती है। इस तरह की चर्चा लगभग हर सत्र में विधायकगण करते रहे हैं कि जब हमें विधेयक की एडवांस कॉपी समय पर नहीं मिलती है तो हम विधेयक पर चर्चा करने में असमर्थ होते हैं। इन सभी बातों पर संज्ञान लेते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय ने 4 मई, 2017 को सदन की बैठक में सदन को यह अवगत करवाया था कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला हो गया है कि आगे से कोई भी विधेयक जो पूर्ण रूप से सही हो हरियाणा विधान सभा का सत्र शुरू होने के 5 दिन पहले तक ही लिया जायेगा। उसके बाद बिल स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस सदन में हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 122 में भी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद आपने पत्र में लिखा है कि विधेयक विधान सभा में पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन का समय हो तथा 5 दिन पहले तो हर हालत में विधान सभा में विधेयक की एडवांस कॉपी विधायकों के पास पहुंच जानी चाहिए अन्यथा आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। उसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस बारे में जो पत्र लिखा है वह भी मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि–

> उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पिछले वर्षों में हरियाणा विधान सभा सत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधान सभा का सत्र शुरू होने के 5 दिन पहले तक वही विधेयक स्वीकार किये जाएंगे जोकि पूर्ण रूप से सही होंगे ताकि सत्र के दौरान विधायकों को बिल पर चर्चा करने में असमर्थता न हो । उससे कम अवधि में प्राप्त होने वाले विधेयक स्वीकार नहीं किये जाएंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों का कृपा ध्यान से पालन किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपके ऑफिस से ये चिट्ठी लिखी जाती है और चीफ सैक्रेटरी साहब ने भी आगे हर विभाग को अवगत करवाते हुए कहा है कि आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा लेकिन दूसरी तरफ आज आपने 12 विधेयक दे दिये ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, अबकी बार यह सैशन शॉर्ट नोटिस पर बुला लिया गया है । इसलिए ही ऐसा हुआ है । वैसे एक–आध बार को छोड़कर लगभग हम इसका पालन कर रहे हैं । आज तो हम मान रहे हैं कि सैशन शॉर्ट नोटिस पर बुला लिया गया है । यहां चीफ सैक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं उनको इसके लिए अवगत करा दिया जाएगा । अभय जी, आपका यह कहना गलत है कि हम इस चिट्ठी का पालन नहीं कर रहे हैं । हमने तो यह शॉर्ट नोटिस पर सैशन बुलाया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप जो कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस पर यह सैशन बुलाया गया है, आपका यह कहना भी गलत है । मुख्यमंत्री जी ने आज से करीब एक महीना पहले मेरे से स्वयं मीटिंग में यह चर्चा की थी कि हमें एक दिन का सैशन बुलाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डी.जी.पी. लगाने की हिदायत जारी की है उसके लिए हमें एक एक्ट बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें विधेयक लाना पड़ेगा इसलिए जल्दी ही हम एक सैशन बुलाने जा रहे हैं । मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, आप सैशन बुलाईये । अध्यक्ष जी, आपके ऑफिस की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें तो सीधा–सीधा आपको चैलेंज किया गया है । उसमें तो आपकी कुर्सी की मर्यादा को कम किया जा रहा है । आपके आदेश एक स्पीकर के नाते से जाते हैं । यह नहीं है कि आप एक विधायक के नाते से सरकार को कोई निर्देश जारी कर रहे हैं । अगर विधान सभा में भी आपके निर्देश नहीं माने

जाएंगे तो फिर इस सैशन का क्या मायना रह गया ? मैं आपसे यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि क्या आपकी इस चिट्ठी के कोई मायने हैं या नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस चिट्ठी के मायने हैं और हम पूरी तरह से इसका पालन भी करेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, क्या सरकार आपकी इस चिट्ठी को महत्व देती है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आपके ऑफिस को भी नजर अंदाज कर रहे हैं जैसे बाकी मंत्रियों के ऑफिस को नजरअंदाज कर देते हैं । इसी तरह से आपको भी नजर अंदाज करके अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं जो आपके सामने हैं । कल–परसों भी अखबार में मुख्यमंत्री जी का ब्यान छपा है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, विभागों द्वारा विधान सभा में जो शॉर्ट नोटिस पर बिल दिये गये हैं वे इसी सैशन में दिये गये हैं । वैसे हमने बिलों को स्वीकार करने का समय विधान सभा में कम से कम पांच दिन का तय कर रखा है क्योंकि यह सत्र शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है तो हमने बिल भी शॉर्ट नोटिस पर स्वीकार किये हैं अन्यथा पिछले सत्रों में हमने बिलों को लगभग तय सीमा के अन्दर स्वीकार किया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मै तो केवल आपका स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि क्या आपके आदेशों की इस प्रकार से धज्जियां उड़ा दी जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, अभय जी, अगली बार से इसका पूरा ध्यान रखेंगे और पिछले जितने भी सैशन हुए हैं उनमें भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा । अबकी बार ही ऐसा हुआ है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर सैशन बुलाया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता के पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप इनको बैठाईये । यह बहुत जरूरी बात हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपकी बात पूरी हो गई है । प्लीज अब आप बैठ जाईये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरी और बात भी हैं जिन पर मैंने चर्चा करनी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : सर, आप महीपाल जी को बैठाईये । इतनी जरूरी बात चल रही है और ये बीच में व्यवधान डाल रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, प्लीज आप बैठ जाईये । अभय सिंह जी, आपने अपनी बात रख दी है और हमने आपकी बात मान ली है । आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा । आप सारी बातों को समझ गये हैं । आगे से हम इस मामले में सख्ती रखेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, फिर इस चिट्ठी का क्या महत्व है ?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, हम उस चिट्ठी को इम्प्लीमैंट कर रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपकी चिट्ठी को तो मुख्य सचिव जी ने सौ फीसदी इम्पलीमैंट कर रखा है । इम्पलीमैंट के बाद भी अगर कोई विधेयक आज की तारीख में दिया जा रहा है उसको भी मान्य किया जा रहा है क्योंकि जब बिजनैसएडवाईजरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी तब तक भी सरकार की तरफ से जो विधेयक दिये गये थे वह विधेयक आपके पास नहीं पहुंचे थे । आपने हमें बी. ए.सी. की मीटिंग में कहा था कि यह 10 विधेयक और सप्लीमैंटरी डिमांड्स आए हैं लेकिन उस मीटिंग के बाद भी इनमें दो विधेयक और जोड़ दिये गये हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऑफिस की कोई गरिमा नहीं है और आपके ऑफिस का कोई मतलब ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, ऐसी कोई बात नहीं है ।

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो इस बात में भी शंका नज़र आ रही है कि यह नेता प्रतिपक्ष हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, अब तो अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष कहलवाने के भी लायक नहीं हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य मुझे बोलने में इंट्रप्ट कर रहे हैं, आपको इन्हें उनकी जुबान ठीक करने की सलाह देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, जो माननीय सदस्य मेरी इजाजत के बिना खड़े होकर बोल रहे हैं, वह अपनी सीट पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। जहां तक अभय जी, आपने अभी सदन का सत्र बुलाने से पहले जिन बातों को ध्यान में रखने की बात कही है, भविष्य में सदन का सत्र बुलाने से पहले इन बातों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस बात के अलहदा मैं एक बात और सदन में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सरकार द्वारा आपके आफिस अर्थात विधान सभा के नियमों व निर्देशों को भी नज़रअंदाज किया गया। यह ठीक है कि जब भी सरकार कोई विधेयक लेकर आती है तो कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेकर गवर्नर को विधान सभा का सत्र बुलाने बारे लिख दिया जाता है लेकिन अफसोस इस बात का है कि पहले 11.00 बजे गवर्नर से आर्डर करवाया जाता है कि विधान सभा का सत्र 28 और 31 दिसम्बर, 2018 अर्थात् दो दिन चलेगा और उसके थोड़े ही देर बाद में एक बार दोबारा से उन्हीं गवर्नर महोदय से यह आर्डर करवा लिया जाता है कि सत्र की अवधि एक दिन होगी। अध्यक्ष महोदय, सत्र की अवधि कितने दिन होगी इसका फैसला सरकार अपने स्तर पर नहीं कर सकती बल्कि इसका फैसला या तो बिजनैसएडवाइजरी कमेटी कर सकती है, विधान सभा के अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं या फिर जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को सदन में सदन के सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है और ज्यादा बड़ी संख्या में सदन के सदस्य खड़े होकर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को न मानते हुए सदन के सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर दे तो ऐसी हालत में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी कोई मायने नहीं रखती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को सदन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करके और ज्यादा बड़ी संख्या में सदन के सदस्यों की इस रिपोर्ट से सहमति के बाद ही सदन के सत्र की समयावधि निश्चित की गई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे एक विधायक महोदय ने तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुमोदन के संबंध में 'ना' कही है और 'ना' कहकर उन्होंने सरकार से सवाल भी किया जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपने अभी स्पष्ट कहा था कि यदि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सदस्यों की ज्यादा संख्या मानने से इंकार कर दे तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट का भी कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है आपके एक सदस्य ने इस रिपोर्ट के संबंध में 'ना' कहा। किसी एक सदस्य द्वारा

'ना' कहने से स्पष्ट है कि सदन की अवधि एक दिन करने की पूरे सदन की सहमति है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के केवल एक सदस्य ने 'ना' नहीं कहा वास्तव में मैंने भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में सदन की अवधि एक दिन करने बाबत कोई दस्तख्त नहीं किए है और यह दस्तख्त इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझ पता है कि सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि कम करना चाहती है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में तो किसी के भी दस्तख्त नहीं होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन में विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह जी ने सदन के सत्र की समयावधि के संबंध में कुछ बातें कही। अध्यक्ष महोदय आपने इनकी बातों का संज्ञान लेते हुए उचित जवाब भी दिया है और आप द्वारा केवल इसी सत्र में ही नहीं बल्कि पूर्व के सत्रों में भी अभय सिंह जी की बातों का माकूल जवाब दिया जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभय सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि सदन के सत्र की अवधि को बढ़ाने या कम करने संबंधी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के संबंध में कुछ निश्चित प्रक्रियायें प परंपरायें बनी हुई हैं, बेवजह नया राग छेड़कर क्यों निश्चित प्रक्रियाओं व परंपराओं को छेड़ने का काम किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जायेगा तो भविष्य में इस तरह की परंपराएं ठीक परिणाम लेकर नहीं आयेगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं अभय जी से अनुरोध करता हूँ कि वे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने तो स्पीकर की बात को भी नहीं माना। स्पीकर की चिट्ठी को सरकार ने मानने की बजाय उसको ओवर रूल कर दिया है। क्या यह स्पीकर के पद की गरिमा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह चौटाला जी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के माननीय सदस्य हैं। आज की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमती किरण चौधरी तथा श्री अभय सिंह चौटाला भी मौजूद थे और सदन के सत्र की समयावधि निश्चित करने

बारे जब चर्चा की गई थी तो माननीय अभय सिंह चौटाला जी जो स्वयं उस मीटिंग में विराजमान थे, के कहने पर ही आज के सत्र की दो सीटिंग्ज रखने का फैसला हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस मीटिंग में यह भी कहा था कि इस सैशन को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में पास हो चुकी है अतः मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को आगे जारी रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं से पूछकर सदन के सत्र की अवधि दो दिन की बजाय एक दिन करने का फैसला किया है। स्पीकर सर, प्रजातांत्रिक प्रणाली में यह बहुत ही दुखदायक बात है। हमने हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सदन का समय बढ़ाने के बारे में देखा, पढ़ा और सुना है लेकिन सदन का दिन कम करना यह पहला ऐसा मौका है जब इस प्रकार का फैसला लिया गया है। सदन के सत्र की अवधि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिपक्ष और पक्ष के मैम्बर्ज की राय पर निश्चित होती है। मुख्यमंत्री जी का बयान है कि विपक्ष के सदस्यों के कहने पर सदन का समय कम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सामने लाना बहुत जरूरी है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि वे बतायें कि विपक्ष के किन सदस्यों ने उन्हें सदन का सत्र कम करने के लिए कहा है ताकि प्रदेश की जनता को पता लग सके कि आखिर वह कौन हैं जो बहस से भागना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बेवजह सदन का समय खराब किया जा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, माननीय सदन के नेता अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एक बार उन्हें अपनी बात रख लेने दें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ कि आज सदन में सदन के सत्र की समयावधि के विषय को आवश्यकता से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जैसाकि नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं भी माना है कि मैंने इनसे बात की थी

कि सदन का एक दिन का सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैंने यह बात कही थी तो इन्होंने स्वयं कहा था कि ठीक है आप सदन का सत्र बुला लीजिए। जहां तक सदन के सत्र की तारीख निश्चित करने की बात थी तो इस बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई थी कि इसे किस तारीख को बुलाया जाये क्योंकि बीच में नगर निगम के चुनाव आ गये थे। अतः नगर निगम के चुनावों के बाद सदन का सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। सदन का सत्र बुलाने के संबंध में कुछ तकनीकी बातों को अपनाना पड़ता है जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो होती नहीं है। पहले फैसला हुआ कि 15 दिन का नोटिस देकर जनवरी में सदन का सत्र बुला लेते हैं लेकिन यदि ऐसा हो तो तो इसमें गवर्नर के अभिभाषण जैसी परपंरायें अपनाकर कम से कम इस सत्र की अवधि 4–5 दिन की होती। अतः कम अवधि का सत्र बुलाने के लिए शॉर्ट नोटिस के आधार पर सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इस सत्र को 28 दिसम्बर, 2018 को दोपहर बाद बुलाने का निर्णय लिया गया था लेकिन इस संबंध में मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार का काम तो केवल सदन का सत्र बुलाने की सिफारिश करना ही है फाईनल तो तब होता है जब गवर्नर साहब उस सिफारिश के संबंध में अपनी सहमति देते हैं। यह सत्र कब और कितने दिन चलेगा, इस बात का निर्णय हरियाणा विधान सभा की बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी ही कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि यह सत्र एक दिन का होगा। सरकार ने तो दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को विधान सभा का सत्र बुलाने की सिफारिश राज्यपाल महोदय से की थी। मौखिक तौर पर विपक्ष ने भी इस बात को माना है और मैंने स्वयं भी कहा था कि एक दिन का सत्र बुलाने की आवश्यकता रहेगी लेकिन लिखित रूप में एक ही दिन का सत्र बुलाना है, ऐसा नहीं कहा गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा है कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि केवल एक ही दिन का सत्र बुलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातचीत व्यक्तिगत हो सकती है और उसी के आधार पर इस प्रकार की खबर समाचार पत्रों में आई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी से व्यक्तिगत बातचीत हुई और श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि आपने दिसम्बर महीने में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियां खराब कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात मौखिक तौर पर है, लिखित रूप में नहीं है। (विघ्न) यही विषय चला था कि

दिसम्बर महीने के आखिरी दिनों में सत्र नहीं बुलाना चाहिए था। एक विषय यह भी आया था कि वित्त विभाग की ओर से जो सप्लीमैंटरी बजट सदन में लाया जायेगा तो उसके लिए दो सिटिंग का होना जरूरी है, इसलिए इसको दो दिन का सत्र किया जाये। अध्यक्ष महोदय, एक विषय यह था कि दो सिटिंग क्यों न एक ही दिन में कर ली जाये। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने कहा था कि एक ही सिटिंग में काम चल सकता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय विपक्ष के नेता ने ही कही थी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एक ही सिटिंग में काम चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता ने कहा था कि सारे काम दो सिटिंग की बजाए एक ही सिटिंग में कर लिया जाये। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्पीकर महोदय के आदेश का पालन नहीं करती है तो फिर सरकार को सत्र चलाने की मंजूरी कैबिनेट में ही करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सत्र बुलाने का अधिकार सरकार का होता है और सरकार अपने अधिकार पर कायम है। अध्यक्ष महोदय, सरकार सत्र बुलाने की सिफारिश राज्यपाल महोदय से करेगी और उस सिफारिश को जिन्होंने मानना है वे मानेंगे और जिन्होंने नहीं मानना है वो भी बता देंगे कि हम नहीं मानते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस समय अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि सत्र की अवधि के लिए बिजनैसऐडवाइजरी कमेटी ने जो निर्णय किया है, सदन ने उस निर्णय को स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, हम अगली बार यह जरूर कर सकते हैं कि बजट सत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलाया जाये। सरकार इस तरह की सिफारिश राज्यपाल महोदय से जरूर कर देगी। इस तरह की बात को मानना विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष इस तरह की बात को मानता है तो जल्दी सिफारिश करेंगे नहीं तो समय पर ही काम होकर रहेगा। (विघ्न)

.....

विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री करण सिंह दलाल, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का छठा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for misleading the House on 29th August, 2016, and he has stated that the 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pocket of Ministers, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(ii) श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. के विरूद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरुद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Kuldip Sharma, MLA for levelling allegations against the such persons who are doing illegal mining under patronage of State Government. They are government functionaries. There is no any such area in the Haryana State where the illegal mining is not being done. The people who are sitting in the House, are doing such illegal mining. When he was asked to mention the names of those persons then he expressed his inability to declare their names.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(iii) श्री केहर सिंह, एम.एल.ए. के विरूद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री श्याम सिंह राणा, विधायक द्वारा श्री केहर सिंह, विधायक के विरुद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Shyam Singh Rana, MLA against Shri Kehar Singh, MLA for misleading the House on 25th October, 2017 by levelling allegations against Shri Gian Chand Gupta, MLA during the discussion in his speech in the session that he is collecting Rs.300/- from each "Rehriwalas" in Panchkula, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तारांकित व अतारांकित प्रश्नों से संबंधित मामला उठाना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न आज क्यों नहीं लगाए गए ? सदन की लिस्ट ऑफ बिजनैसमें आज के सत्र में प्रश्न काल भी नहीं रखा है। मुझे इसके बारे में बताया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, केवल दो प्रश्न आपने और दो ही प्रश्न श्री परमेन्द्र सिंह ढुल ने विधान सभा में समय पर भेजे थे। (विघ्न) इसी वजह से आज की बिजनैसमें प्रश्न–काल नहीं रखा गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम अपने हल्के की समस्याओं को उठाने के लिए प्रश्नों को लगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एक सत्र के समाप्त होते ही दूसरे सत्र के लिए हम अपने प्रश्नों को सदन में उठाने के लिए तैयारी करते हैं। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा भी प्रश्न दिए गए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, आपने प्रश्न देने में देरी की थी। (विघ्न) लेकिन बहन किरण जी और माननीय विधायक परमेन्द्र सिंह ढुल के द्वारा प्रश्न समय पर विधान सभा में दिए गए थे लेकिन कम प्रश्न होने की वजह से आज के सत्र में प्रश्न काल नहीं रखा गया है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप इन प्रश्नों को रिकॉर्ड पर तो लेकर आईए। (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आज प्रश्न काल नहीं हुआ है लेकिन अतारांकित प्रश्नों के जवाब हमें लिखित रूप में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे अतारांकित प्रश्नों को स्वीकार करते हुए उनके जवाब मुझे जरूर भिजवाए जायें ताकि मैं उन जवाबों का अवलोकन कर सकूं।

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र सिंह जी, आप अपने इन प्रश्नों को दोबारा से लगा देना। लेकिन अब जवाब देना पोसीबल नहीं है। (विघ्न)

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब विधान सभा के सदस्य श्री बलदेव सिंह सदन की कार्यवाही को देखने के लिए अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ।

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने दो काम रोको प्रस्ताव दे रखे हैं, पहले उनका फेट बता दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्रदेश के निजी शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न किय जाने बारे आपका ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है, इसलिए पहले हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करवा लेते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बाद में बात करूंगा । मैंने एस.वाई.एल. नहर, दादूपुर–नलवी नहर, मेवात फीडर कैनाल के बारे में 'काम रोको प्रस्ताव' दे रखा है । मैं पहले उस पर पर चर्चा करूंगा। (विघ्न) ये लोग एस.वाई.एल. नहर के नाम पर दांत निकाल रहे हैं । इनको शर्म नहीं आती । (शोर एवं व्यवधान) इनको शर्म आनी चाहिए । ऐसा करने से पहले इनको डूबकर मर जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि एस.वाई.एल. नहर पर इससे पहले के सत्रों में बहुत चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा में लगभग एक–जैसी बातें की जाती हैं । अतः आप फिलहाल इस कॉलिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा कीजिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने इसके अतिरिक्त एक अन्य 'काम रोको प्रस्ताव' भी दिया हुआ है जोकि किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ करने के विषय में है । बहुत–से राज्यों में किसानों का कर्ज माफ हुआ है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक राज्यों में चुनावी सभाओं के दौरान भाजपा की ओर से कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बनवा दो हम किसानों और छोटे दुकानदारों का

कर्ज माफ कर देंगे । आज हरियाणा प्रदेश में ***** कर चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप इनको बैठाइये ।

श्री अध्यक्ष : अभी अभय सिंह जी ने जो शब्द कहें हैं उनको रिकॉर्ड न किया जाए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में किसानों पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है । प्रदेश में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर बैंक का कर्ज न हो । आज रोजाना किसानों की जमीन की कुर्की के ऑर्डर उसके फोटो के साथ चस्पा किए जा रहे हैं । आप यह बात सौ फीसदी मानिये कि किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने कर्ज की अदायगी कर सकें क्योंकि इस सरकार ने किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सरकार का कहना है कि हमने किसानों की फसलों का पूरा दाम दिया है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अभय सिंह जी को याद दिलाना चाहूंगा कि यह सरकार किसान हितैषी सरकार है । जब अभय सिंह जी की पार्टी की सरकार थी तो उस समय किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो हमने दो 'काम रोको प्रस्ताव' दिए हुए हैं उनके बारे में आप बता तो दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप उन एडजर्नमैंट मोशंज पर बोल रहे हो जो मैंने नामंजूर कर दिये हैं । आप उस कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोलिए जिसे मैंने स्वीकार किया हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने किसानों पर गोलियां नहीं चलवाई । हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है । हमने किसानों को सर्वाधिक मुआवजा देने का काम किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, फिलहाल आपका जो कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है आप उसके बारे में बात कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आज मैं जिस एडजर्नमैंट मोशन पर चर्चा

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

करना चाहता हूं वह प्रदेश हित का एक अति महत्वपूर्ण विषय है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, वह एडजर्नमैंट मोशन प्रदेश के किसी बर्निंग इशू पर नहीं है, इसलिए उसे मैंने नामंजूर कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपने उस एडजर्नमैंट मोशन को नामंजूर क्यों किया है ? क्या आपको प्रदेश के हित की चिंता नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, वह एडजर्नमैंट मोशन प्रदेश का कोई बर्निंग इशू नहीं है । हाँ, वह एक चुनावी मुद्दा अवश्य हो सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी, मैं थारी मदद में ही बोलूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, माननीय विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी का हम बहुत आदर करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि ये अल्पमत में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, श्री अभय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, ये नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं वही बात बता रहा हूं। मैंने माननीय सदस्य श्री उदय भान जी के अब्बू जान के साथ भी काम किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला उतने ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितने हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, प्लीज आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, हमारी सरकार ने साढ़े 4 साल के कार्यकाल के दौरान जब फरवरी, 2015 में हरियाणा प्रदेश में ओला वृष्टि हुई तो 1192 करोड़ रूपये का मुआवजा पहली बार श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने दिया

था। (शोर एवं व्यवधान) श्री अभय सिंह जी अभी बात कर रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप इस प्रकार से व्यवहार न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। देखिए, सरकार को सवालों का जबाव देना होता है। यह आपका बात कहने का तरीका ठीक नहीं है। अगर आप कोई बात कहेंगे तो सरकार उसका जबाव देगी। इसलिए सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, प्लीज आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है। मंत्री जी अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद आप अपनी बात रख लें। माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में गन्ना उत्पादक किसानों को 340/–रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब गन्ने का दाम श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है। पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य देने में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर है। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त जो बिजली कनैक्शन रूके हुये थे उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, किसानों का गन्ने का बकाया पैसा नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का किसान जितना आज सुखी है उतना

सुखी हरियाणा प्रदेश में पहले कभी नहीं था। (शोर एवं व्यवधान) यह किसान हितैषी सरकार है। स्पीकर सर, मैं मेरे खेत में बाजरा बोता हूं। (शोर एवं व्यवधान) पहले बाजरे का भाव 990/–रूपये प्रति क्विंटल होता था। अब श्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में 1950/–रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बाजरे का मूल्य दिया गया है और मेरे हल्के में सतनाली की अनाज मण्डी में भी बाजरा खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त कपास और जीरी के भाव भी बढ़ाये गये हैं। आज हमारी सरकार में किसान को फायदा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय,.....(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी के हल्के और मेरे हल्के में बाजरा ज्यादा होता है। माननीय सदस्या बाजरे को अंग्रेजी में बोल रही थी परन्तु बाजरे के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, बाजरे का मूल्य ज्यादा होने से आपके हल्के के किसानों को ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि आपके हल्के में ज्यादा बाजरा होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सरकार ने छतीसगढ़ में किसानों को 800/–करोड़ रूपये दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश में 5 नगर निगमों के चुनाव थे जिसमें बी.जे.पी. वर्सिज आल पार्टीज थी और हम पांचों नगर निगमों के चुनावों में हजारों वोटों से जीतकर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान) 18 विधान सभा हल्कों के क्षेत्रों के लोगों ने श्री मनोहर लाल जी की सरकार को जिताने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा तीन अन्य माननीय विधायकों (सर्व श्री रणबीर गंगवा, राम चन्द्र कम्बोज तथा वेद नारंग) द्वारा प्रदेश के निजी शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान ना किये जाने बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 प्राप्त हुई है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ेंगे और इसके बाद संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में किसानों का बहुत बुरा हाल है। हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्रीमती शकुंतला खटक सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से तर्क–वितर्क करने लगी।)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया: अध्यक्ष महोदय, हमें भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बलवान जी, मैंने अभी कॉलिंग अटैंशन मोशन टेक अप किया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, सदन की वैल में आकर बोलना ठीक बात नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: स्पीकर सर, मैं आधे घंटे से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूं लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, गोहाना व सोनीपत की दोनों गन्ने की मिल्ज बन्द पड़ी हैं जिससे किसानों को गन्ने की फसल बेचने में परेशानी हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन भी स्वीकार कर लिया गया है। प्लीज आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि मैंने आपका कालिंग–अटैंशन मोशन स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं।

(इस समय श्रीमती शकुन्तला खटक अध्यक्ष महोदय के आश्वासन पर अपनी सीट पर चली गई)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री कुलदीप शर्मा, विधायक तथा पांच अन्य विधायकों (सर्वश्री/श्रीमती गीता भुक्कल, जयवीर सिंह, जगबीर सिंह मलिक, श्री कृष्ण हुड्डा तथा शकुंतला खटक) द्वारा भी प्रदेश के निजी शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 दी गई। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ जोड़ दिया गया है। उनको भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है।

अब मैं श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से अपनी सूचना पढ़ने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप यह कालिंग अटैंशन मोशन टेक–अप करें, हमारी पार्टी के सदस्यों ने जो दूसरे कालिंग अटैंशन मोशंज दिये हैं, आप उनके बारे में भी हमें बता दें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कालिंग अटैंशन मोशन गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न करने बारे में दिया था, आपने उसका क्या किया ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम, शायद आपने सुना नहीं, आपकी पार्टी के मैम्बर्ज द्वारा जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था, हमने उसको भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ जोड़ दिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले हमें यह बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 2 एडजर्नमैंट मोशंज एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में और किसानों के कर्जा माफी के बारे में दिया था, उनका आपने क्या किया ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम, उन सभी एडजर्नमैंट मोशंज को डिस–अलॉउ कर दिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप इनैलो पार्टी के विधायकों की बात तो सुन लेते हो, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हो।

श्री अध्यक्षः मैडम, आप इस तरह की बात न कहें कि हम इनैलो पार्टी के विधायकों की बात सुनते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 में इनेलो पार्टी के 4 मैम्बर्ज हैं और ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 में आपकी पार्टी के 6 मैम्बर्ज हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के सदस्यों ने जो प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिया था, उसका आपने क्या किया ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम, हमारे पास टोटल 17 कालिंग अटैंशन मोशंज आए थे, जिनमें से मैंने 2 को स्वीकार किया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, आपने कौन–कौन से 2 कालिंग अटैंशन मोशंज स्वीकार किए हैं, हमें भी उसके बारे में बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, हमने जो 2 कालिंग अटैंशन मोशंज स्वीकार किए हैं, उनमें एक प्रदेश में विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कृषि उपयोगी भूमि में जल भराव

की समस्या से संबंधित है और दूसरा प्रदेश के निजी शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने से संबंधित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, अगर सभी 17 कालिंग अटैंशन मोशंज को देखा जाए तो ये ही 2 बर्निंग टॉपिक थे और दोनों को ही मैंने स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी एडजर्नमैंट मोशंज और कालिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं, आप उनका एक–एक का फेट तो बता दें, ताकि वे प्रोसिडिंग्ज का पार्ट तो बन जाएं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या पानी का विषय बर्निंग टॉपिक नहीं है ? सारा दक्षिण हरियाणा प्यासा मरा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) यहां पर बैठे हुए आधे एम.एल.एज. उधर के ही हैं। इन्हें भी इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन ये बोलते नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह पानी का मुद्दा इनका है, लेकिन ये पानी का मुद्दा उठाते नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैडम किरण झूठ बोल रही हैं कि दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह चौटाला जी, आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े। (विघ्न)

श्री किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा के लोग यहां पर एम.एल.ए. बनकर आ गए हैं, लेकिन एस.वाई.एल. के पानी की बात नहीं करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय किरण चौधरी जी ये क्या कह रही हैं ? क्या एस.वाई.एल. के पानी की बात बी.जे.पी. नहीं करती है ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बी.जे.पी. के 6 विधायक स्वयं वर्ष 2004 में जब उनका कार्यकाल कम–से–कम 10 महीने बचा हुआ था, उन्होंने त्यागपत्र देकर पूरे हरियाणा में संघर्ष की यात्रा की थी। उस समय सामने बैठे लोग सत्ता–लोलुप्ता में और सत्ता–पिपासा में अंधे हो गए थे। (शोर एवं व्यवधान) ये सत्ता के केवल मजे लूटना चाहते थे, उस समय इनको एस.वाई.एल. कैनाल का ध्यान क्यों नहीं था ? हमारे दाई ओर बैठे लोग इनको तो कभी एस.वाई.एल. कैनाल की परवाह ही नहीं थी और ये तो पंजाब की कांग्रेस सरकार की मदद में लगे हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज। आपने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है, उस पर ही चर्चा शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, ये मुद्दा भी तो गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में ही तो है और यह किसानों की ही तो बात है ? (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, आपने मुझे किसानों की जो बात कही है, मैंने उसे ही तो स्वीकार किया है और अब आप उस पर चर्चा नहीं कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि हमारा एडजर्नमैंट मोशन क्यों डिस–अलॉउ किया गया, तब तक मैं नहीं बैठूंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, मैंने जिसे स्वीकार किया है, आप सबसे पहले उस पर चर्चा शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसानों एवं छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करने का जो विषय है, उसे भी तो स्वीकार कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नसीम जी, जिसको मैंने पहले स्वीकार किया है, आप उस पर सबसे पहले चर्चा कर लें। (शोर एवं व्यवधान) नसीम जी, जिसे मैंने स्वीकार किया है वह आप ही का तो प्रस्ताव है। आप उस पर चर्चा करें। आप लोग सारे कालिंग–अटैंशन मोशंज स्वीकार नहीं करा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, कृपया आप प्रदेश के किसानों एवं छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करने का जो विषय है, उसे स्वीकर कर लें।

श्री अध्यक्षः आप पिछला रिकॉर्ड निकालकर देख सकते हैं कि हम पहले कितने कालिंग–अटैंशन मोशंज स्वीकार करते थे और अब कितने कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, ये सभी मिलकर विधान सभा को कंगाल बनाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने जो हमारा एडजर्नमैंट मोशन डिस–अलॉउ किया है, उसके बारे में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम जी, आप सारे कालिंग–अटैंशन मोशन स्वीकार नहीं करा सकते हैं और कालिंग–अटैंशन तो वही होंगे जो बर्निंग टॉपिक्स पर होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

जैसे आपका जो तात्कालिक मुद्दा किसानों के गन्ने की पैमेंट का है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने जो हमारा एडजर्नमैंट मोशन डिस–अलॉउ किया है, उसके बारे में तो बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह चौटाला जी, आप अपना कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ें। किरण जी, कृपया आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप इनको बैठाइए। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जब तक आप हमें यह नहीं बताएंगे कि आपने हमारा एडजर्नमैंट मोशन क्यों रिजैक्ट किया, तब तक मैं नहीं बैठूंगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले मेरी बात रिकॉर्ड में डलवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, हम इसे रिकॉर्ड में भेज देंगे और यह रिकॉर्ड में भी रहेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमें भी पता होना चाहिए कि आपने हमारा एडजर्नमैंट मोशन क्यों रिजैक्ट किया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी बात बोलने का ज्यादा समय दिया जाएगा।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी हमारी सरकार पर आरोप लगा रही है कि हरियाणा के किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो सभी माननीय सदस्यों के हाथ खड़े करवाकर इस बारे में पूछ लो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पानी तो सबको ही चाहिए कौन कह रहा है कि पानी नहीं चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि आप वहां पर एक निष्पक्ष आदमी को भेज दो और दक्षिणी हरियाणा के किसानों से पूछ लो कि इंडियन नैशनल कांग्रेस की सरकार के समय में पानी ज्यादा मिला था या वर्तमान सरकार के समय में पानी ज्यादा मिला है।

(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय में तो किरण चौधरी जी बोलती नहीं थी, चुपचाप बैठी रहती थी और देखती रहती थी । जब हमारी सरकार किसानों को पानी दे रही है तो बोल रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ दे रखें हैं आपने उनमें से कितने स्वीकार किये और कितने नहीं ? उनको प्लीज, एक बार पढ़ दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप अपने विषय पर बोल नहीं रही हैं । आप अपने विषय से अलग ही जा रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) इन सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ को पढ़ने की क्या जरूरत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्लीज, आप एक बार इन सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ को पढ़ दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ को पढ़ने से क्या हो जायेगा, जब मैंने कह दिया कि टोटल 17 कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो हमने कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ दे रखे हैं, उनमें प्रदेश की जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जनता से जुड़े हुए इनमें से कोई ज्वलंत मुद्दे नहीं थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सभी माननीय सदस्यों से हाथ खड़े करवाकर पूछ लो कि ज्वलंत मुद्दे हैं या नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ को पढ़ने की पहले भी ऐसी कोई परम्परा नहीं थी और न ही इनको पढ़ने की जरूरत होती है । पहले भी ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में प्रदेश की जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे ही उठाये हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में कोई ज्वलंत मुद्दे नहीं थे । इन 17 कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में दो ही ज्वलंत मुद्दे थे और उनको मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया था । (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, यदि आप बोलने के बजाये इन सभी को पढ़ने के लिए जोर देंगी कि मैंने कौन–कौन से कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ दिए हुए हैं तो आप उनको जरूर पढ़ो ताकि प्रैस वाले सुन सकें लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस बात का समाधान कितना कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप सदन में कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ को पढ़कर नहीं बताते हो तो यह सदन के लिए दुर्भाग्य की बात है । (शोर एवं व्यवधान) हमारी पार्टी जनता की भलाई के लिए इतने महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे लेकर आई है । आप उन पर चर्चा तो करवा ही नहीं रहे हैं लेकिन आप उनके बारे में बता भी नहीं रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके पांच कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ तो आज 9:23 बजे आये हैं, तो इनको कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) मैंने इन 17 कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में से जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ स्वीकार किये हैं उन विषयों पर तो आप बोल नहीं रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने बिजनैसएडवाइजरी कमेटी में कहा था कि जो मैं कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ रिजैक्ट करूंगा उनके बारे में बताऊंगा । ये क्या बात हुई ? इसका मतलब तो आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है । प्रैस वालों को मैं आपके सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ दे दूंगा ताकि वे समाचार पत्रों में छाप सकें । (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, आप ये बतायें कि आज आपने कितने टाईम की बचत की है ? आप टाईम इसलिए बचा रही हैं कि आपको बोलने के लिए ज्यादा टाईम मिले ? टाईम को बचाने के बजाये आप बर्बाद कर रहे हो इसलिए इसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ । (शोर एवं व्यवधान) मैं ये सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ प्रैस वालों को दे दूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा और पावर डिपार्टमैंट में जो घपला हुआ है, वे ज्वलंत मुद्दे नहीं हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ में कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, घटनाओं का असर होता है लेकिन इतना होता है, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था । श्री अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि किसानों की जब फसल नहीं बिकी तो 15000 से अधिक किसानों ने सुसाईड किया था । (शोर एवं व्यवधान) हमें लगता है कि इन घटनाओं का असर इन पर ज्यादा हुआ है और ऐसा असर बहन किरण चौधरी जी पर भी दिख रहा है । अध्यक्ष महोदय, इतनी सार्थक चर्चा पर कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है और माननीय सदस्या उस पर चर्चा करने की बजाये बाकी विषयों को उठाये जा रही हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज़ पहले स्वीकार किये गए हैं उन पर तो चर्चा होने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान) मेरा तो यही कहना है कि एक सार्थक चर्चा होने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या इम्पोंटैंट ईश्यूज़ का समय किल कर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, छतीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आते ही पैडी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 800 रुपये बोनस दिया है । आप भी हरियाणा के किसानों के लिए ऐसा कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : हमारी सरकार ने सारे का सारा धान खरीद लिया है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या किसानों के साथ हुई ठगी की बात बता रही हैं । कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छतीसगढ़, पंजाब और मध्यप्रदेश के किसानों के साथ कर्जा माफी के नाम पर केवल ठगी ही की है ।

सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक कलम से किसानों के सारे कर्जें माफ करेंगे । (शोर एवं व्यवधान) साहूकारों का कर्ज माफ कर देंगे, आढ़तियों का कर्ज माफ कर देंगे और दीर्घकालिक कर्जों को भी माफ कर देंगे । (शोर एवं व्यवधान) लेकिन जब उनकी नोटिफिकेशन हुई तो कहा गया कि हम केवल फसलकालीन और अल्पकालीन आदि कर्जे ही माफ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, ये तो ठगों की जमात है । राहुल गांधी को इसके लिए देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो किसानों से वायदा किया था, उसके विपरीत ही काम किया है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल किसानों के साथ ठगी ही की है । हम यह ठगी हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ नहीं होने देंगे । हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप प्लीज बैठ जाये । (शोर एवं व्यवधान) पहले आप ये बतायें कि आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दे रखा है उस पर बोलना चाहते हो या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनकी ठगी यहां पर नहीं चलने वाली है। हरियाणा प्रदेश में इनका सुपड़ा ही साफ हो जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, सिवानी मंडी में एक किसान द्वारा आत्महत्या की गई थी जिसके परिवार को सरकार द्वारा पांच लाख रूपये देने की बात कही गई थी लेकिन सरकार की तरफ से उस किसान के परिवार को आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज़ माफ करने का झूठा वायदा करके सत्ता हथियाई है। इन तीनों प्रदेशों में इनकी पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार ने किसानों का नाममात्र का कर्ज़ भी माफ नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी नकली पार्टी है जिसने झूठ बोलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता प्राप्त की है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी द्वारा इन तीनों प्रदेशों के

किसानों को सरेआम ठगा गया है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी ने पंजाब में भी ऐसा ही किया था। इनकी पार्टी की किसी भी प्रदेश की सरकार ने किसानों का कोई भी दीर्घकालीन लोन माफ नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले क्या बोला था और बाद में क्या किया है अब यह सभी को मालूम हो चुका है। इनकी पार्टी के नेताओं की सारी की सारी पोल अब खुल चुकी है।

श्री अध्यक्ष : अभय चौटाला जी, आपने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है आप कृपा करके उसे पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, पहले आप इन सभी को तो बिठाईए।

श्री अध्यक्ष : अभय चौटाला जी, आप अपने कालिंग अटैंशन मोशन को पढ़ना शुरू करें ये सभी तो अपने आप ही बैठ जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, मुझे भी अपनी बात रखने का समय दिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ललित जी, अभी आप कृपा करके बैठ जायें। अभी मैंने जो कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किया है पहले मुझे सदन में उस पर विधिवत् चर्चा करवा लेने दें। (शोर एवं व्यवधान) आपको मैं बाद में बोलने के लिए समय दूंगा। अभी आप कृपा करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

राज्य में किसानों के कृषि कर्ज़ को माफ करने से सम्बंधित मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, यहां पर बहुत देर से इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी का ब्यान आया था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसानों का कर्ज़ माफ नहीं करेंगे इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार किसानों के कर्ज़ माफ करेगी या नहीं करेगी यह सीधा–सीधा हमें बताया जाये। इसका जवाब हां या ना में दिया जाये उसके बाद इस मामले से सम्बंधित चर्चा अपने आप समाप्त हो जायेगी। सदन में सवाल पूछने का मुझे अधिकार है इसलिए मुख्यमंत्री जी खड़े होकर इसका जवाब सदन में दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, सरकार को इस सम्बन्ध में जब भी निर्णय लेना होगा उस समय सरकार निर्णय ले लेगी इसलिए इस विषय पर यहां चर्चा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कृपा करके बैठ जायें।

वॉक–आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी का ब्यान आया था कि हम किसानों के कर्ज़ माफ नहीं कर सकते बल्कि हम उनकी आमदनी बढ़ायेंगे। सरकार की तरफ से यह जवाब आ जाये कि किसानों के कर्ज़ माफ किये जायेंगे या नहीं? मैं बार–बार यही कह रहा हूं। मेरा एक ही सवाल है मुझे इसका जवाब दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) हमें इस सारी की सारी चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी के एक ही जवाब से मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका हां या ना में जवाब दे दें कि ये किसानों के कर्ज़ माफ करेंगे या नहीं करेंगे? (शोर एवं व्यवधान) अगर सरकार किसानों के कर्ज़ माफ करने के बारे में सदन में कोई आश्वासन नहीं देती है तो हम इसके विरोध में सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य हरियाणा प्रदेश के किसानों का कर्ज़ माफ करने की उनकी मांग न माने जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गए।)

राज्य में किसानों के कृषि कर्ज माफ करने से सम्बन्धित मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक इस विषय पर वॉक–आउट करके गये हैं कि सरकार को किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी कई प्रदेशों में किसानों के कर्जे माफ किये हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में आते ही तीन प्रदेशों में किसानों के कर्जे माफ किये हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का किसान चाहे वह साहूकार के कर्ज के शिकंजे में है या बैंकों के कर्ज के शिकंजे में है, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाये? क्या प्रदेश सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों की आय दोगुनी होने की बात है तो सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी कर दे। मैं किसान का बेटा हूं और मैं सभी बातें जानता हूं। सरकार बताये

कि उसके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे किसान की आय दोगुनी होगी। क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि उक्त रास्ते पर चल कर हम किसान की उपज के दोगुने दाम देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एम.एस.पी. के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है। धान की फसल का एम.एस.पी. जहां 1900 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था वहीं पर किसानों से मंडियों में 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव धान खरीदा जा रहा है। इस प्रकार से किसानों को लूटा गया है। सरकार किसानों की विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप धान का एम.एस.पी. किस प्रकार से 1900 रुपये प्रति क्विंटल बता रहे हैं? आप कैथल की अनाज मंडी में जा कर देखिये वहां पर किसानों से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान की फसल खरीदी जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार में सी.एल.यू. के नाम पर किसानों की जमीनों को लूटा जा रहा था तब किसान के बेटे श्री जयप्रकाश जी कहां पर थे? हमें इनकी सलाह की जरूरत नहीं है, ये ** हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, श्री कृष्ण बेदी जी जो ** शब्द कह रहे हैं वे सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी ने जो ** शब्द कहे हैं वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने बहुत गंभीरता से एक मुद्दा उठाया है । उसमें उन्होंने अपनी सरकारों का उदाहरण दिया है कि हमने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पंजाब राज्य में कर्ज माफी की घोषणा की है । मैं कहता हूं कि यह घोषणा एक प्रकार से ठगी है और यह ठगी इस रूप में है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह आश्वस्त किया है कि हम सभी तरह का कर्जा माफ करेंगे । पंजाब राज्य में तो इन्होंने यहां तक कहा है कि हम साहूकार का कर्जा माफ करेंगे । हम आढ़तियों का कर्जा माफ करेंगे । हम

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

नैशनेलाईज बैंक का कर्जा माफ करेंगे । हम दीर्घकालिक कर्जा माफ करेंगे । जब इनकी नोटिफिकेशन आई तो उसमें लिखा था कि हम पंजाब में नैशनेलाईज बैंक का कर्जा माफ नहीं करेंगे, आढ़तियों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, साहूकारों का कर्जा माफ नहीं करेंगे और केवल और केवल सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे । जब इन तीनों राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़) के इलैक्शन का रिजल्ट आया तो इन्होंने कहा कि हम केवल अल्पकालीन ऋृण जो किसान को क्रेडिट कार्ड से मिलता है, जिसको किसान हर साल नया–पुराना करता है, जो कर्ज किसान पर बचता ही नहीं है केवल उसी कर्ज को माफ करेंगे । इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ ठगी की है । इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए । ये जनादेश के ठगी हैं । अगर इनमें दम था तो ये किसानों का दीर्घकालीन कर्ज माफ करते जिसमें कि किसान डिफाल्टर होता है । इन्होंने डिफाल्टर किसानों को फायदा नहीं दिया है । इन्होंने केवल और केवल अल्पकालीन कर्ज माफी की बात की है । ये जो उदाहरण लेकर आए हैं उसमें यह लोकतंत्र के ठग हैं । राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब राज्यों का सारा का सारा किसान कांग्रेस
पार्टी से दुःखी हैं इसलिए यह ठगी की बात यहां नहीं चलेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये किसानों का कर्ज कब माफ करेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो अपनी सरकार के समय में यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसी मशीन लेकर आएंगे जिसमें हम आलू को सोना बनाएंगे । अब वह मशीन कहां है ? ऐसी मशीन न पंजाब में है, न छत्तीसगढ़ में है और न राजस्थान में है और न ही मध्यप्रदेश में है । वह मशीन पता नहीं ये कहां रख कर भूल गये हैं। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि वह मशीन कहां है जिससे आलू को सोना बनाया जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह एक जरूरी विषय है जो किसान से संबंधित है ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, ––––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, –––––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, ––––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलवान जी, इसका मतलब यह हुआ कि अभय सिंह जी ने जो विषय उठाया है आपने उसको पढ़ा ही नहीं है । आपकी पार्टी के नेता ने कालिंग अटैंशन

मोशन दिया है और मैं उस पर बहस करवाना चाह रहा हूं । क्या इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा विषय है क्या ?

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को उठाएं ।

श्री अध्यक्ष : बलवान जी, अधिकार तो मैं बताउंगा कि आपने बोलना है या नहीं । अभी मैंने आपका कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर रखा है और आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं । आप उस पर कोई भी छोटी–मोटी चीज बताकर उस विषय से अपना ध्यान डायवर्ट करना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप एक तरफ तो किसान की बात कर रहे हैं । दूसरी तरफ आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं । आप किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिसकी मैं परमीशन नहीं दे सकता । जो आपने कहा है मैंने उसी में से मुद्दा चुनकर उस पर चर्चा करने के लिए आपको समय दिया है । (शोर एवं व्यवधान) आपने जो विषय रखे हैं मैंने उन्हीं विषयों में से एक विषय पर आपको चर्चा करने के लिए समय दिया है । आप उस विषय पर चर्चा कीजिये । आपने जो विषय रखा है आप उस विषय में सरकार से प्रश्न पूछिये । सरकार उसका जवाब देगी । (शोर एवं व्यवधान) आपने ही विषय रखा है । आपके नेता ने ही कालिंग अटैंशन मोशन दिया है और मैंने उसको स्वीकार किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के पटल पर लेकर आना चाहती हूं कि आर.टी.आई. के जवाब में मुझे पता चला है कि हरियाणा में 54.18 प्रतिशत किसानों की मौत खुदकुशी से हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जाईये । आपका यह विषय नहीं है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, ––––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाईये । क्या आप अपने विषय पर गंभीर नहीं हैं ? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने जो लिख कर दिया है आप न तो उस पर गंभीर हैं और न ही उस विषय पर आपकी तैयारी है । आप किसान के मामले में कोई गंभीर नहीं हैं । आप उस विषय पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। आप जान–बूझकर इस विषय को डायवर्ट कर रही हैं । आपके पास इस विषय पर बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) आपने तो वैसे ही कालिंग अटैंशन मोशन दे दिया है । जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने विषय पर बोलिये तो आप अपने विषय पर क्यों नहीं बोल रही हैं ? आप ऐसे प्रश्न पूछती हैं

जिनको पूछने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है । गीता जी, अब सदन में केवल विषय आधारित चर्चा ही की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अभी विषय वह है जिस पर आप लोगों ने कालिंग अटैंशन नोटिस दे रखा है।(शोर एवं व्यवधान) केवल इसी विषय पर आपको बोलने का समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों की समस्या पर कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है और किसान की समस्या के विषय पर ही बात कर रही हूँ। मेरे झज्जर जिले के गांव खुड्डण में एक किसान ने आत्महत्या की है। जिस तरह से आज प्रदेश में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों के प्रति गम्भीर नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, अब 12 बजकर 20 मिनट हो गए हैं। सदन 11 बजे शुरू हुआ था और इस प्रकार सदन का 1 घंटा 20 मिनट का समय केवल एक ही विषय पर चर्चा करने में बीत गया है। मैं आपको, आपके द्वारा दी गई कालिंग अटैंशन नोटिस पर बोलने के लिए पूरा समय दूंगा। अभी आप प्लीज बैठिए। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की टेबल पर नैशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट रखना चाहती हूँ जिसमें 54 परसैंट सुसाईड केसिज का एक विवरण दिया हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप प्लीज मुझे मजबूर न करे कि मैं आपको रोकूं। आप केवल विषय आधारित बात ही करें। सदन को चलते हुए 1 धंटा 20 मिनट का समय हो चुका है लेकिन आपने अभी तक कोई भी सारगर्भित बात नहीं की है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं नैशनल क्राइम ब्यूरों की रिपोर्ट के बारे में सदन में बताना चाहती हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाती है और अब आपके द्वारा कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी।(शोर एवं व्यवधान) मैं सर्वप्रथम जिस विषय पर कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है, उसी विषय पर ही

सदन में चर्चा कराउंगा। इसके सिवाय किसी अन्य विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, आप सदन में स्पीकर की चेयर पर बैठकर किसानों के हित में कही गई बातें कहने से रोक रहे हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यही नहीं किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपको इन विषयों को सदन में रखने से नहीं रोकना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, जो समस्या अभी आपने बताई, इससे संबंधित विषय का कालिंग अटैंशन मोशन मैंने स्वीकार किया हुआ है। जब इस विषय पर चर्चा करने का समय आयेगा तब आप अपनी बात रख लेना। आप प्लीज बैठिए और नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमने आपको दो एडजर्नमैंट मोशंज दिए हैं। पहला एस.वाई.एल. नहर, दादुपूर नलवी नहर तथा मेवात फीडर कैनाल के निर्माण के बारे में है और दूसरा किसानों, छोटे व्यापरियों के कर्जे की माफी के बारे में। जब मैं एस.वाई.एल. नहर के विषय पर जिक्र कर रहा था तो सत्ता पक्ष के बैंचिज की तरफ से कुछ लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे। यही नहीं कुछ लोगों ने तो खड़े होकर भी भिन्न–भिन्न प्रकार की टिप्पणियां की। अध्यक्ष महोदय, 10 नवम्बर को एस.वाई.एल. नहर के विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, अभी सदन में इस विषय पर चर्चा करने का समय नहीं है बल्कि जिस विषय पर आपने कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं, केवल उन्हीं विषयों पर आपको सदन में चर्चा करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन विषयों को आपने सदन में उठाया है, वह विषय बहुत ही इंपोर्टेंट इश्यूज हैं और किसानों को प्रभावित भी करते हैं और यही कारण है कि किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मैंने मंजूर भी किया है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अतः आपको अब सदन में केवल विषय आधारित चर्चा ही करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं सदन के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ वह सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपके द्वारा उठाये गए विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन प्रश्न केवल इतना ही है कि सदन में जो विषय चल रहा है, अभी केवल उसी विषय पर चर्चा की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपकी मर्जी, जैसे चाहे आप सदन चलायें? आपको तो जैसे हाँकेंगे आप चलते रहेंगे? अध्यक्ष महोदय, आज मैंने सदन में आपके बारे में ताजा उदाहरण पेश किया है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से फैसले ले लेकर के आपको आदेश देते हैं और आप मजबूर होकर उनके आदेशों को मानने का काम करके इस हाऊस की गरिमा को कम करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह जी ने जो आपके संदर्भ में शब्दावली का प्रयोग किया है, मेरा निवेदन है कि हाऊस की प्रोसिडिंग्ज से उस शब्दावली को हटवा दिया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने जो बात कही है मैं अब भी उसी बात पर कायम हूं। मैंने कहा कि आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठी को भी सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया गया। स्पीकर सर, मैं आपकी हर समय प्रशंसा करता हूँ कि हमारा स्पीकर हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है, हर मैम्बर को बोलने के लिए उचित समय देता है तथा उनकी बात सुनता है लेकिन बावजूद इन सबके सरकार, स्पीकर की बात को मानने से इंकार कर देती है। हमें जब इस तरह की बात पता लगती है तो इस बात को लेकर बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा मजबूत स्पीकर जो सरकार को 100 फीसदी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देता है, सच्ची बात के उपर विपक्ष के साथ खड़ा हो जाता है, आज उस स्पीकर को भी सरकार ने झुकने के लिए मजबूर कर दिया और स्पीकर ने भी सरकार के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्पीकर सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपके सामने चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी, उसको पढ़ने से साफ पता चलता है कि किस तरह से सरकार द्वारा आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से सरकार ने आपके आदेशों को मानने से इंकार कर दिया। यह

कैसी सरकार है जो हाऊस को हाऊस नहीं समझती तथा स्पीकर को स्पीकर नहीं समझती? मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि हमने जो फैसले ले लिए हम 100 फीसदी उन फैसलों पर अडिग रहेंगे, हम उनको मनवाने का काम करेंगे तो स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एस.वाई. एल. नहर का जो मामला है क्या वह महत्वपूर्ण मामला नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अभी आपको एस.वाई.एल. नहर के विषय पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, यह लोग एस.वाई. एल. नहर के विषय पर केवल राजनीति करते हैं इनको एस.वाई.एल. नहर से कोई लेना–देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह नायब सैनी तो नहरों का रेत व मिट्टी तक बेचकर खा गया है। यह इस प्रदेश का सबसे बड़ा चोर है। कुलदीप शर्मा जी तो सदन में इनके बारे में नाम सहित सारी बात रख चुके हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इल्जाम लगाने से दोष सिद्ध नहीं होते अगर यह लोग इल्जाम लगाते हैं तो इनको सबूत देने का काम भी करना चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष आज इस सदन का मजाक उड़ा रहे हैं, वह वास्तव में बडी हैरान करने वाली बात है। मात्र एक ही विषय पर सदन का सवा से लेकर डेढ़ घंटे तक का समय खर्च हो गया है और आपके द्वारा दिए गए आदेशों की भी पालन नहीं हो रही है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने आदेशों का पालन करने के लिए यदि प्रयत्न करेंगे तो सब ठीक हो जायेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मुझे लगता है कि आप अपने विषय पर नहीं बोलना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री नायब सैनी पर तो नाम लेकर आरोप लगे हुए हैं। (विघ्न) श्री नायब सैनी जी सारी की सारी चीजें बेच कर खा गए हैं।

(विघ्न) जब एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर चर्चा करनी होती है तो कहते हैं कि विपक्ष चर्चा के नाम पर भाग जाता है। जबकि एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर हमेशा सत्ता पक्ष मैदान छोड़कर भागता है। (विघ्न)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता मेरे ऊपर लगाए गए आरोप एक बार साबित करके तो दिखा दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, पहले आप अपने ध्यानाकार्षण प्रस्ताव पर चर्चा करें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से वही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार विगत वर्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.वाई.एल. नहर पर दिए गए फैसले को लागू करवायेगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहर निर्माण के विषय पर कोई प्रयास किया है या नहीं किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को यह भी बताएं कि सरकार ने एस.वाई.एल. नहर निर्माण के लिए अभी अब ये–ये प्रयास किए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता को सिर्फ अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही सदन में चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चंद गुप्ता जी को किसान की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, कई बार ऐसा होता है कि चर्चा करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए तो जाते हैं लेकिन उस प्रस्ताव की तैयारी नहीं होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले आप श्री ज्ञान चंद गुप्ता और श्री नायब सैनी को चुप करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपको बोलने के लिए समय दे रहा हूँ लेकिन आप अपने विषय से हटकर इधर–उधर जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं हरियाणा के किसान की समस्या की बात सदन में उठा रहा हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हाउस को सही ढंग से चलाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपने विषय के मुताबिक ही सदन में बोले । (विघ्न) यदि आप अपने विषय के मुताबिक सदन में बोलेंगे तो सरकार उसका जवाब जरूर देगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ–साथ काम रोको प्रस्ताव भी दिए हुए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप लोगों ने ही मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर बैठाया है और उस नाते से मैंने आपके द्वारा दिए गए दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको अध्यक्ष मानते हैं लेकिन सरकार आपको अध्यक्ष नहीं मानती है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए नाम नोमिनेट किया था और हमें उम्मीद थी कि आप सभी दलों के साथ न्याय करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं सभी दलों के साथ न्याय कर रहा हूँ। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप तो सभी के साथ न्याय करना चाहते हो लेकिन सरकार आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। सत्ता पक्ष ही आपके पद की गरिमा को गिरा रह है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, कृपया करके आप अपने गंभीर विषय पर चर्चा करें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने असली विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो काम रोको प्रस्ताव दे रखें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन को बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी इस बात को लेकर बड़ा बवाल खड़ा किया था कि छोटे किसान और छोटे दुकानदार का कर्जा माफ हो। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे कहना है कि माननीय सदस्य सदन का समय खराब कर रहे हैं । अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई सदस्य सदन के समय को खराब करे तो उसे ऐसा न करने दिया जाए । सदन की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप इस विषय पर अपने विचार रखिये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे लिए 'कोई' शब्द का प्रयोग किया है । मेरा कहना है कि मैं 'कोई' नहीं हूं । 'कोई' तो इनके पीछे बैठे हुए हैं । मुझे इस सदन द्वारा विपक्ष का नेता चुना गया है । नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है और सरकार को उसका जवाब देना होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के नेता को यह अधिकार किसने दिया कि वे किसी विधायक से कहें कि वह सदन का समय खराब कर रहा है । (विघ्न) माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि सदन का समय खराब किया जा रहा है । मेरा कहना है कि सदन का समय खराब हो रहा है या नहीं यह आपने तय करना है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर सदन में कोई सदस्य अपने विषय की बजाय अन्य विषय पर बात करे तो सदन के नेता ऐसा कह सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने अपने शब्दों द्वारा मुझे अपमानित करने का काम किया है । सदन में इस तरह से बात करने का यह कौन–सा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको कोई अपमानित नहीं कर रहा है । (विघ्न) इस विषय को शुरू हुए 1 घंटा 30 मिनट्स हो चुके हैं लेकिन अब तक आपने इस विषय पर कोई भी बात नहीं की है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, कुछ देर पहले इस सदन में कांग्रेस पार्टी और भाजपा के सदस्य आपस में लड़ रहे थे । यहां पर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की चिंता की जा रही थी । इन प्रदेशों की सदन में चर्चा इसलिए होती रही क्योंकि वहां पर भाजपा की कांग्रेस के साथ राजनैतिक लड़ाई थी । इसको लेकर कुछ सदस्य आपस में लड़ रहे थे । कांग्रेस भाजपा को नीचा दिखा रही थी और भाजपा कांग्रेस को नीचा दिखा रही थी । मेरा कहना है कि जब इस सदन में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक की चिंता की जा सकती है तो फिर हम

तो हरियाणा के किसान के नफे–नुकसान की बात ही कर रहे हैं । जो सदस्य सदन में दूसरे राज्यों की बातों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं आप उनसे कहिये कि वे सदन से बाहर जाकर लड़ें । ये सदस्य सिर्फ एक–दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं । आप इनसे कहिये कि ये सदन का समय बर्बाद न करें । अतः आप खुद देखिये कि सदन का समय ये बर्बाद कर रहे हैं या हम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए अन्यथा मुझे आपको नेम करना पड़ेगा ।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित कई सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।) (शोर एवं व्यवधान)

अभय सिंह जी, मैं फिर से आपको वॉर्न कर रहा हूं । आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए अदरवाइज मुझे आपको नेम करना पड़ेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : आदरणीय अध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यदि मेरे बार–बार कहने के बावजूद भी आप अपना ध्यानाकर्षण नोटिस नहीं पढ़ते हैं तो मैं आज के बिजनैसमें फिक्स अगला आइटम टेक अप कर लेता हूं । (शोर एवं व्यवधान) अब वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत की जाएंगी ।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल में आ गए और अध्यक्ष महोदय द्वारा अगला बिजनैसटेकअप करने का विरोध करने लगे तथा नारेबाजी करने लगे ।)

वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें क्योंकि अब मैंने नैक्स्ट आइटम टेकअप कर लिया है । (शोर एवं व्यवधान) मैं आप सभी को वार्न करता हूं । आप अपनी सीटों पर जाकर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

————————

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती प्रेमलता, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) के लिए प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

Chairperson, Committee on Estimates (Smt. Prem Lata) : Speaker Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2018-19 (2nd Instalment).

वर्ष 2018–19 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2018–19 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए सदन के पटल पर रखी गई सभी डिमांड्स (संख्या 3 से 5, 7 से 11, 13 से 15, 17 से 21, 23 से 30, और 32 से 41) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3**–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **160,50,02,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 4**–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 5**—आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **300,00,01,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **7—आयोजना तथा सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **11,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 8**—भवन तथा सडकें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 9**—शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **10—तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14–नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **500,00,01,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17–रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियां तथा पिछडे. वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21–महिला तथा बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं पूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **25–उद्योग** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **26–खान एवं भू–विज्ञान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **28–पशुपालन तथा डेरी विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **29–मछली पालन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **34,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30–वन तथा वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **200,00,02,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **33–सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34–परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36–गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37–निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **150,00,01,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1215,60,04,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **19,43,03,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40–ऊर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई भी सदस्य डिमाण्ड्ज़ पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमाण्ड्ज़ को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

मांग संख्या–3 से 5

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3**–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **160,50,02,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 4**–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 5**–आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–7 से 11

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **300,00,01,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **11,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 8**–भवन तथा सडकें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 9**–शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **10–तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–13 से 15

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13–स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14–नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **500,00,01,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–17 से 21

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17–रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियां तथा पिछडे. वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21–महिला तथा बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–23 से 30

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं पूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **25–उद्योग** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **26–खान एवं भू–विज्ञान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **28–पशुपालन तथा डेरी विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **29–मछली पालन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **34,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30–वन तथा वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–32 से 41

प्रश्न हैः–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **200,00,02,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **33–सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34–परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36–गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37–निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **150,00,01,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1215,60,04,000** रूपये तथा पूँजीगत खर्च के लिए **19,43,03,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40–ऊर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

(इस समय भी इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित कई सदस्य वैल में खड़े रहे और नारेबाजी करते रहे।)

स्थगन प्रस्तावों का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप अगला बिजनैसटेक अप करने से पहले हमारी बात तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अभय सिंह जी, आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। आपने इतना इम्पोर्टेंट विषय रखा था परन्तु आपने उस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोला। आप उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको किसानों की गन्ने की पेमैंट के विषय में सरकार से पूछना था। आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था वही विषय स्वीकार किया गया है लेकिन अब आपको यह लग रहा है कि दूसरा विषय इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरे विषय पर चर्चा करवाना चाहेंगे तो आप कहेंगे

कि तीसरा विषय इम्पोर्टेंट है। तीसरे विषय पर चर्चा करवाएंगे तो आप कहेंगे कि चौथा विषय इम्पोर्टेंट है। आपने मुझे जो कालिंग अटैंशन मोशंज दिये हैं उसी में से ही आपकी बात रखी है। मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया है। आपने कहा कि आप इन चार चीजों पर बात करना चाहते हैं तो मुझे लगा कि यह आज का तात्कालिक विषय है इसलिए मैंने उसी को स्वीकार कर लिया है और उस विषय पर मैं चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं लेकिन आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप दिखाना तो यह चाह रहे हैं कि आप प्रदेश के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं ? प्रैक्टिकली तो कोई बात ही नहीं हुई है।(शोर एवं व्यवधान) प्रैक्टिकली जिस बात पर आपने पूछना था उस बात पर तो कुछ पूछा ही नहीं। सरकार उस बात का जबाव भी देती।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, मैं तो आपकी ही बात सुन रहा हूं। पहले आप सब अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मध्य प्रदेश के किसानों की बात की जा रही है। यहां पर राजस्थान, पंजाब, छतीसगढ़ और यू.पी. के किसानों की बात भी की जा रही है तो क्या हरियाणा प्रदेश के किसान की बात नहीं की जा सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि आप हरियाणा प्रदेश के किसानों की बात रखें (शोर एवं व्यवधान) परन्तु एक ही विषय पर अपनी बात रखें और उसी विषय पर सरकार जबाव देगी। मैंने किसानों के गन्ने की पेमैंट का विषय रखा, जो आपकी तरफ से आया था। हमने कहा कि सरकार इस विषय पर जबाव देगी परन्तु आपने इस विषय पर कुछ कहा ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हम अपने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ही दूसरे इशूज पर चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपने तो विषय पर बोलने की शुरूआत हीं नही की। (शोर एवं व्यवधान) आपने किसानों के गन्ने की पैमेंट के विषय पर बोलना शुरू करना था क्योंकि आपका अभी यही एक विषय था। आप दूसरे इशूज पर तब बोले

सकते हैं जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा परन्तु आपने तो अपना प्रश्न ही शुरू नहीं किया है। इस तरह से एक घंटे का समय हो चुका है।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने किसानों को मार रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के बारे में काम रोको प्रस्ताव दे रखा है हमें उस पर चर्चा करने के लिए समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपनी सीटों पर जाकर बैठें।(विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): परमेंद्र जी, आपको जगह मिली हुई है, कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री परमेंद्र सिंह ढुल: ठीक है।

(इस समय इंडियन नैशनल लोक दल के सभी सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गए।)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, क्या अब मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: हां, अभय जी, लेकिन आप केवल गन्ने पर ही चर्चा करें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मंत्री जी जवाब तो केवल गन्ने पर ही देंगे। (शोर एवं व्यवधान) अभय जी, आप जिस चीज की तैयारी करके आए हैं, केवल वही चीज पूछें।

श्री धनश्याम दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभय जी को कहना चाहूंगा कि ये केवल गन्ने के ऊपर ही चर्चा करें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धनश्याम जी से पूछना चाहूंगा कि ये बीच में क्यों खड़े हो गए हैं ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, वे भी गन्ने के ऊपर ही बोल रहे हैं और उनका भी इंट्रस्ट गन्ने में ही है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि ये मुझे कहने वाले कौन होते हैं कि मैं किस मुद्दे पर चर्चा करूं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, ये तो आपका ही समर्थन कर रहे हैं कि आप गन्ने के ऊपर ही अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धनश्याम जी को कहना चाहूंगा कि गन्ने की खेती के लिए भी तो पानी की जरूरत होती है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, पानी के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप देखिए कि उनकी तरफ से केवल एक सदस्य खड़ा है और आपकी तरफ से तीन सदस्य पहले ही खड़े हो गए हैं।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से तो एक भी सदस्य खड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप अपनी बात शुरू करें। माननीय सदस्य ने आपके सम्मान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इन्होंने खड़े होते ही मुझे यह कहा था कि मैं केवल गन्ने के ऊपर ही बोल सकता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मंत्री हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये केवल कालिंग अटैंशन मोशन पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, इनका गन्ने में इंट्रस्ट है और ये आपसे खुश है कि आप गन्ने के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें कहना चाहूंगा कि इनके 5 साल निकल गये हैं और इन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि ये क्या हैं ? ये तो सारी यूरिया बेच–बेचकर खा गए हैं।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, ये गन्ने के बहुत बड़े किसान हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि गन्ने के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय सदस्य केवल कालिंग अटैंशन मोशन के विषय पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं यूरिया पर चर्चा नहीं करूंगा, ये अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभय जी को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभय जी हमारे विधायकों को धमकाने का काम न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये तो सारी यूरिया बेच कर खा गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब लोग अपनी–अपनी जगह पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं कि मैं किस विषय पर अपनी बात रखूं ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चंद गुप्ता जी को तो एस.वाई. एल. का फुल–फॉर्म भी पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) और ये एस.वाई.एल. की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये तो रेहड़ी वालों से 300–300 रुपए लेकर खा गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चंद गुप्ता जी को तो एस.वाई. एल. के बारे में पता ही नहीं है कि एस.वाई.एल. क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब लोग कृपया अपनी–अपनी जगह पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह चौटाला जी, आप अपनी बात शुरू करें, मैंने इन्हें कह दिया है कि यह तरीका गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले ज्ञान चंद गुप्ता जी को बैठाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हम इनके कहने से थोड़े ही बैठेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ज्ञान जी, कृपया आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्ञान जी को कहना चाहूंगा कि ये अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं इनके कहने से नहीं बैठूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं ज्ञान जी को कहना चाहूंगा कि इन्हें अपनी सीट पर बैठना ही पड़ेगा, 100 फीसदी इन्हें अपनी सीट पर बैठना ही पड़ेगा, इनके पास इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं ज्ञान जी को कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा और ये अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, सदस्यों को बैठाना मेरा काम है। आप सदस्यों को बैठाने के लिए मुझे बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको ही कह रहा हूं कि आप इन्हें बैठाएं।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभय जी को कहना चाहूंगा कि ये केवल गन्ने के ऊपर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप इनसे एक बार पूछ लें कि ये बैठेंगे या खड़े ही रहेंगे ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप अपनी बात शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप एक बार इनसे पूछ लें कि ये बीच में खड़े तो नहीं हो जाएंगे ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप अपनी बात शुरू तो करें। अगर आप गन्ने के विषय पर ही बोलेंगे तो बीच में कोई खड़ा नहीं होगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं गन्ने के साथ–साथ किसान की समस्याओं के ऊपर भी बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपने इतने समय तक सरकार चलाई है और आपको भी पता है कि जिस विषय पर चर्चा होती है, उसी का सरकार जवाब देती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः नसीम जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभय सिंह जी को कहना चाहूंगा कि इन्हें तो जनता ने नकार दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जनता ने तो हमें नकार दिया है, लेकिन क्या इनकी बल्ले–बल्ले की थी ? इनके खुद पार्टी के चार विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रेस–कांफ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी हालत क्या है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बीच में टोकने वाले कौन होते हैं कि मैं किस विषय पर चर्चा करूं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मेरा श्री अभय सिंह चौटाला से निवेदन है कि ये यह चर्चा न छेड़े कि कौन किसके पक्ष में है ? (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हम इनको गुण्डा नहीं कह रहे हैं बल्कि इनके अपने परिवार के लोग ही इनको गुण्डा बता रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि ये सदन में फालतू बात न करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, अगला कार्य शुरू करने से पहले ही मैंने आपको आपके कॉलिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा करने के लिए कई बार कहा था लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सदस्यों में से कुछ सदस्यगण सदन की वैल में आ गए और अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे।)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को तो परिवार के लोगों ने ही रिजैक्ट कर रखा है । (शोर एवं व्यवधान) ये हमें धमकाने की बात कैसे कर सकते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि आप अपने टूटते हुए परिवार को संभाल लें । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब हमें धमका नहीं सकते । इनको अपनी बातें अध्यक्ष महोदय को कहनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आपको हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य कैप्टन अभिमन्यु जी से कहना चाह रहा हूं कि वे यहीं पर बैठे थे जब माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए उन्होंने जो गुण्डा शब्द कहे वे इन्होंने भी सुने होंगे । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : चौटाला जी, आप माननीय सदस्य को धमका नहीं सकते हो । (शोर एवं व्यवधान) आप इनके खिलाफ अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में शिकायत दे सकते हो । आप इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर भी आ सकते हो लेकिन माननीय सदस्य को डायरेक्ट धमका नहीं सकते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के इस प्रकार ने व्यवहार ने तो सदन को मजाक बनाकर रख दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनका यह तरीका ठीक नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभिमन्यु जी, हरियाणा प्रदेश में चौटाला जी का इम्प्रेशन बहुत बढ़ रहा है । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज चौटाला जी, आप सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें । आप हाउस की कार्यवाही को बाधित न करें अन्यथा आप सभी सदस्यों को मुझे नेम करना पड़ेगा । प्लीज, आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठे ।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी में हिम्मत है तो श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी और बाकी दो अन्य माननीय सदस्यों को अपनी पार्टी से निकालकर दिखाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी बैठने के लिए बोले ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार बेदी जी ने बोले हैं वे चाहे तो आप सदन की कार्यवाही में से निकलवाकर देख सकते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अभी आप बैठे । जो शब्द माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार बेदी जी ने बोले हैं वे निकलवाकर देख लेते हैं । (शोर एवं व्यवधान) अब विधायी कार्य होगा ।

.....

विधान कार्य –

(i) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज़ (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2018

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

> कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

> कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

———

(ii) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरीफरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2018

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

———

(iii) दि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एण्ड विजुअल आर्टस रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2018

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

वाक–आउट

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे दोनों काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये हैं और उस पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध स्वरूप सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एस.वाई. एल. नहर और किसानों तथा छोटे व्यापारियों के कर्ज माफी संबंधित उनके द्वारा दिये गये काम रोको प्रस्तावों के अस्वीकृत होने के विरोध स्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गये।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 दोपहर 3.00 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*12.59 बजे

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, दोपहर 3.00 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)